AC-II केसोरा बनाम व्यापरलाल

T.No - 95/2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		आज दिनांक 20/1/23 को पत्रावली पेश हुई। [illegible] 31/1/23 को पेश हो।
		आज दिनांक ~~31/1/23~~ को पत्रावली पेश हुई। [illegible] ~~10/1/23~~ को पेश हो।
	31/1/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूल्यांकन को प्रार्थना/वकीलान द्वारा स्पष्ट किए जाने पर मूल्यांकन को स्पष्ट कर निर्णित किया जा चुका है। जब मूल्यांकन ही व्यर्थ हो चुका है तो प्रार्थना पत्र टी.आई.डी. चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र टी.आई.डी. खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर उसे नंबरवार करके डिक्री दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज डिक्टेट 31/1/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर